



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129725

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21928 सन् 2026

महेंद्र सिंह उर्फ पिंटू उर्फ विकास

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

मनीष देव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 203 सन् 2023 अन्तर्गत धारा 392, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना- अकबरपुर, जिला- कानपुर देहात में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। उसका नाम दो अभियुक्तगण - रोहित उर्फ दीपांकर और अजय सिंह उर्फ नरेश चौहान - के स्वीकारोक्ति कथन में सामने आया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त अजय सिंह उर्फ नरेश चौहान को इस न्यायालय द्वारा 30.10.2023 के आदेश आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 34384/2023, अजय सिंह उर्फ नरेश चौहान बनाम यूपी राज्य के आदेश के माध्यम से नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह-अभियुक्त रोहित उर्फ दीपेंद्र उर्फ चिंकी को भी इस न्यायालय ने 02.05.2024 के आदेश आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 31301/2023, रोहित उर्फ दीपेंद्र उर्फ चिंकी बनाम यूपी राज्य के ज़रिए नियमित जमानत दे दी है। आवेदक का प्रकरण भी सह- अभियुक्तों के प्रकरण जैसा ही है। वे आगे कहते हैं कि आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें तीन प्रकरण शामिल हैं और उसे इस प्रकरण में बी -वारंट के माध्यम से तलब किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पहले किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है और वह बाकी सभी प्रकरणों में जमानत पर है। आवेदक 10.04.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. हालांकि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, तथापि उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त अजय सिंह उर्फ नरेश चौहान को इस न्यायालय ने 30.10.2023 के अपने आदेश आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 34384/2023: अजय सिंह उर्फ नरेश चौहान बनाम यूपी राज्य के तहत नियमित जमानत दे दी है। सह-अभियुक्त रोहित उर्फ दीपेंद्र उर्फ चिंकी को भी इस न्यायालय ने 02.05.2024 के अपने आदेश आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 31301/2023: रोहित उर्फ दीपेंद्र उर्फ चिंकी बनाम यूपी राज्य के तहत नियमित जमानत दे दी है। आवेदक का प्रकरण भी सह-अभियुक्तों के प्रकरण जैसा ही है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अभियुक्त-आवेदक - **महेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू उर्फ विकास** - को जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद जमानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

- i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।
10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ऐमन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।